

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जून 2010—ज्येष्ठ 17, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. एफ 1-1-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (एक) शीर्षक “दो-गृह विभाग” के अधीन, शीर्षक भाग (अ) में विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय, भाग “अ-सामान्य” में, अनुक्रमांक “29. आग की रोकथाम” का लोप किया जाए;
- (दो) शीर्षक—“अठारह-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग” के अधीन, शीर्षक भाग (अ) में “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” अनुक्रमांक 18-ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“18-ग. आग की रोकथाम.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. एफ 1-1-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-1-1-2010-एक (1), दिनांक 7 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2010

No. F 1-1-2010-One-(1).—In exercise of the powers conferred by classes (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule,—

- (i) under the heading “II-Home Department”, in part (A) of heading “Matters of Policy dealt within the Department” in Part A-General, serial number “29. Fire Prevention” shall be omitted;
- (ii) under the heading “XVIII-Urban Administration and Development Department, in Part (A) of heading “Matters of policy dealt within the Department” after serial number 18-B and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

“18-C. Fire Prevention.”

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.